



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253026  
CG-DL-E-15032024-253026

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 181]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का.नि. 194(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में, नियम 21ख में, "विमान पट्टे" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "विमान या पोत पट्टे" शब्द रखे जाएंगे।

[फ़ा. सं. के-K-43013(12)/1/2022-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 105(अ) तारीख 5 फरवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2024

**G.S.R. 194(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 21B, for the words “aircraft leasing”, wherever they occurs, the words “aircraft or ship leasing” shall be substituted.

[F. No. K-43013(12)/1/2022-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 105(E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2024.